# रबी फसलों की तैयारियों की संभागायुक्त ने की समीक्षा

**■ फसल विविधीकरण और उत्पादन बढ़ाने पर जोर : संभागायुक्त**




**लोकसदन ➤➤ बिलासपुर।**

संभागायुक्त ने कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर रबी फसलों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने किसानों की जरूरत के अनुरूप खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने तथा कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए।

संभागायुक्त श्री जैन ने दलहन, तिलहन एवं अन्य लाभकारी फसलों की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने फसलवार रकबे, उत्पादन एवं उत्पादकता की पिछले वर्ष से तुलना कर प्रगति का आकलन करने को कहा। रबी फसलों के लिए खाद की उपलब्धता एवं संभावित आवश्यकता की समीक्षा करते हुए समय पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन एवं कुल पंजीयन की जानकारी अलग-अलग अद्यतन रखने को भी कहा।

संभागायुक्त ने धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं और किसान पंजीयन की जानकारी ली। उन्होंने सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने तथा संबंधित आंकड़ों में एकरूपता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने उद्यानिकी फसलों का रकबा और उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों को मिलने वाले आर्थिक लाभ का आकलन करने को कहा। पशुपालन विभाग को पशुधन विकास एवं विभागीय योजनाओं का लाभ अधिकाधिक पशुपालकों तक पहुंचाने तथा मत्स्य पालन विभाग को मछली उत्पादन और मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए।

श्री जैन ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर ध्यान दें। निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति की नियमित समीक्षा कर कमियों को दूर करें, ताकि किसानों को योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके। बैठक में डिप्टी कमिश्नर श्रीमती स्मृति तिवारी, श्री हरिशंकर चौहान सहित कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

## सराविमं में गरबा की धूम : कलेक्टर, एसडीएम की उपस्थिति में सजा भक्तिमय माहौल





**लोकसदन ➤➤ सूरजपुर।**

शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर साधु राम विद्या मंदिर सूरजपुर में प्रतिवर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नवरात्रि सांझ के तत्वावधान में माँ भगवती के स्वागत हेतु भव्य गरबा नाइट का आयोजन किया गया। भक्तिमय वातावरण, रंग-बिरंगी रोशनी और गरबा की थाप पर थिरकते बच्चों एवं अभिभावकों ने आयोजन को यादगार बना दिया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर रेना जमील, एसडीएम शिवानी जायसवाल एवं श्रीमती डीएफओ अनमोल प्रिया अग्रवाल उपस्थित रहीं। अतिथियों ने माँ भगवती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा-अर्चना एवं आरती की और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। अतिथियों ने विद्यालय परिवार के इस आयोजन की सराहना करते हुए सभी को शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रायपुर के ख्यातिप्राप्त एंकर एवं जादुई कलाकार सोमेश थापा रहे। उनके शानदार मंच संचालन और मनोरंजक प्रस्तुतियों ने पूरे कार्यक्रम में उत्साह बनाए रखा। वहीं नमन केजरीवाल की मिक्सिंग डीजे की प्रस्तुति ने उपस्थित हजारों अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गरबा आयोजन में ऋषिका अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही और सम्पूर्ण आयोजन की व्यवस्था बनाई।

इस अवसर पर विद्यालय के डॉ. राहुल अग्रवाल, एसएमसी चेयरमैन सुनील अग्रवाल, प्राचार्या खुशबू सिंह, उप प्राचार्य दीनदयाल तिवारी सहित प्रबंधन परिवार के सदस्य, सभी इंचार्ज एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। सभी ने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्या खुशबू सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए अतिथियों, अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

## अंधे कत्ल का खुलासा, टांगी से वार कर की थी हत्या





**लोकसदन ➤➤ सूरजपुर।**

चौकी बसदेई पुलिस ने ग्राम सोनपुर बरपारा में नाहर सिंह की हत्या के मामले का खुलासा किया है। पुलिस जांच के अनुसार, गांव के ही बालगोविन्द सिंह ने टांगी से सिर पर वार कर नाहर सिंह की हत्या की थी। बाद में बालगोविन्द ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस के मुताबिक, 10 अक्टूबर की रात नाहर सिंह लापता हुआ था। 12 अक्टूबर को उसका शव खेत के पास नाले के पानी में मिला, जिसके सिर पर चोट के निशान थे। जांच के दौरान बालगोविन्द के परिजनों ने बताया कि नाहर सिंह से परेशान होकर वह उसे मारने की बात कहता था। घटना के बाद उसने अपनी पत्नी से हत्या करने की बात भी कही थी। विवेचना में हत्या में प्रयुक्त टांगी जब्त की गई।

पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर गठित टीम ने मामले की जांच की। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन एवं सीएसपी बेनार्ड कुजूर के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी रघुवंश सिंह सहित पुलिस टीम ने की।

## आयोजन समितियों व नागरिकों की पहल पर विसर्जन के नए मार्ग पर बनी सर्वसम्मति

**■ कलेक्टर और एसएसपी की मौजूदगी में हुई बैठक, व्यवस्था में प्रशासन देगा पूर्ण सहयोग**

**■ अगले वर्ष गणेश विसर्जन से रिवर व्यू रोड से निकलेंगी झांकियां और प्रतिमाएं**

**लोकसदन ➤➤ बिलासपुर।**



शहर की उत्सव परंपरा को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए आयोजन समितियों एवं नागरिकों ने मिलकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगामी वर्ष गणेश विसर्जन से झांकियां और विसर्जन के लिए प्रतिमाएं रिवर व्यू रोड मार्ग से निकाली जाएंगी। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल और एसएसपी श्री रजनेश सिंह की मौजूदगी में दुर्गा उत्सव आयोजन समितियों के प्रतिनिधियों, शांति समिति के सदस्यों एवं नागरिकों के साथ रिवर व्यू ग्राउंड में हुई बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद नए मार्ग पर सर्वसम्मति बनी। इस वर्ष दुर्गा विसर्जन पूर्व निर्धारित मार्ग से ही होगा।

खुली बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विसर्जन मार्ग पर चर्चा की गई। आयोजन समितियों के प्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने सहमति जताई कि रिवर व्यू रोड से झांकियां और प्रतिमाएं निकाले जाने पर लोगों को परिवार सहित शांतिपूर्वक झांकियों के दर्शन करने का बेहतर अवसर मिलेगा। मुख्य सड़कों पर भीड़ और यातायात का दबाव कम होगा तथा बाजारों में आवागमन एवं व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रखने में भी मदद मिलेगी। प्रतिनिधियों ने कहा कि बिलासपुर की गौरवशाली उत्सव परंपरा को बनाए रखते हुए शहर की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप व्यवस्था में बदलाव सामूहिक सहयोग से संभव है। इसी भावना के साथ अगले वर्ष गणेश विसर्जन से नए मार्ग को अपनाने पर सहमति व्यक्त की गई। इस वर्ष दुर्गा विसर्जन का आयोजन निकट होने के कारण वर्तमान मार्ग की व्यवस्था यथावत रखने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने आयोजन समितियों एवं नागरिकों के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। नए मार्ग पर सफाई, पर्याप्त रोशनी, पेयजल, बैठने की व्यवस्था तथा सुरक्षा एवं यातायात सहित आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा। आयोजन समितियों के साथ समन्वय कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में बिलासपुर की आपसी सद्भाव और भाईचारे की परंपरा के अनुरूप उत्सव मनाने तथा युवा पीढ़ी की सक्रिय भागीदारी से आयोजनों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

सभी आयोजन समितियों और नागरिकों से इस सामूहिक निर्णय को सफल बनाने में सहयोग की अपील की गई।

# दुर्गा पूजा व विसर्जन को लेकर पुलिस सतर्क, समितियों को दिए निर्देश



**लोकसदन ➤➤ सूरजपुर।**

दुर्गा पूजा, दशहरा एवं मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने सूरजपुर पुलिस सतर्क है। इसी क्रम में शुक्रवार, 16 अक्टूबर को थाना प्रभारी प्रहलाद यादव ने नगर की दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन एवं यातायात व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देशानुसार आयोजित बैठक में थाना प्रभारी ने समितियों से धार्मिक आयोजनों को आपसी सौहार्द एवं अनुशासन के साथ संपन्न कराने की अपील की। उन्होंने गरबा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम निर्धारित स्थानों पर ही आयोजित करने तथा सार्वजनिक मार्गों पर गरबा नहीं खेलने की समझाइश दी, ताकि आम नागरिकों और आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में बाधा न आए।

**विसर्जन, डीजे और यातायात पर विशेष जोर:-** प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित एवं सुरक्षित मार्गों का उपयोग करने, भीड़ नियंत्रित रखने तथा नदी, तालाब सहित जलाशयों के आसपास सुरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। डीजे एवं लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित समय और ध्वनि मानकों के अनुरूप करने को कहा गया। यातायात प्रभारी बृजकिशोर पाण्डेय ने पूजा पंडालों एवं विसर्जन मार्गों पर जाम नहीं लगने देने, सड़क पर अनावश्यक वाहन खड़े नहीं करने तथा एंबुलेंस और अग्निशमन वाहनों के लिए रास्ता खुला रखने की अपील की।

पुलिस ने नागरिकों एवं समितियों से अफवाहों से दूर रहने, विवाद की स्थिति में तत्काल सूचना देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया। बैठक में दुर्गा पूजा समिति के सदस्य विनोद मित्तल, राहुल केजरीवाल, दिनेश साहू, गुलशन साहू, अशोक साहू, पार्षद प्रमोद तायल, प्रवीण अग्रवाल, पियुश सोनी, सुमित ठाकुर, सूरज एवं बंटी ठाकुर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।


**छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक**
**CHHATTISGARH GRAMIN BANK (Scheduled Bank Owned by Government)**
क्षेत्रीय कार्यालय, डी.एस.एस. कॉम्प्लेक्स, मुंगेली नाका, बिलासपुर (छ.ग.)
Email : npa.ro.bil@cgb.bank.in I Mobile No. 6232032595 I Web : www.cgb.bank.in

**अचल सम्पत्ति ई-नीलामी सूचना : ''जहां है एवं जैसी है'', ''जो है जैसा है'' एवं''जो कुछ भी है'' की स्थिति में**
**(ई-नीलामी तिथि 19/11/2026, समय सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक)**

अधोहस्ताक्षरकर्ता **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 13 (2)** एवं **धारा 13(4)** प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न दर्शित ऋणी के स्वामित्व वाली सम्पत्ति जिसका अधिग्रहण **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** के द्वारा कर लिया गया है, ऋणी से देय राशि वसूली हेतु सम्पत्तियों की सार्वजनिक **ई-नीलामी दिनांक** 19/11/2026 को **सुबह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक** है। ऋण ग्रहिताओं को विशिष्टतः और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा निम्न वर्णित सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिये **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** के प्रभार के अधीन होगा।

| ऋणी/जमानतदार एवं शाखा का नाम | अचल संपत्ति का विवरण | मांग सूचना तिथि / बकाया राशि / कब्जा/आधिपत्य तिथि / आधिपत्य का प्रकार | आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि |
|---|---|---|---|
| **ऋणी :- मेसर्स फर्स्टमैन रेसिडेंसियल डेवलपर्स , पार्टनर्स (1) मुर्तुजा हुसैन पिता गय्युर हुसैन 2) राजेश कुमार कौशिक पिता भुखलू राम कौशिक 3) हेम बाई कौशिक पति राजेश कुमार कौशिक जमानतदार- गईयुर हुसैन पिता मुर्तिजा हुसैन शाखा : मंगला, मो. 6232032541** | **1. मेसर्स फर्स्टमैन रेसिडेंशियल डेवलपर्स, भागीदार (1) मुर्तुजा हुसैन (2) राजेश कुमार कौशिक (3) हेमबाई कौशिक की बंधक सम्पत्ति का विवरणः-** आवासीय भूमि, प.ह.नं. 26/44, ख.नं. 833,874/1 में से मौजा- हाँफा, आर एन एम, ब्लाक एवं तहसील- सकरी, जिला- बिलासपुर, छ.ग., कुल क्षेत्रफल 0.652 हेक्टेयर अपार्टमेंट क्षेत्र 29399 वर्गफीट । **चौहद्दीः-उत्तर-** रोड, **दक्षिण-** मुर्तुजा हुसैन की भूमि, **पूर्व-** मुर्तुजा हुसैन की भूमि, **पश्चिम-** गईयुर हुसैन की भूमि । **2. मुर्तुजा हुसैन की बंधक सम्पत्तिः-** व्यपवर्तित भूमिः प.ह.नं. 46, ख. नं. 276/3, मौजा- गीधा, ब्लॉक/सर्किल/तहसील/जिला- मुंगेली छ.ग., क्षेत्रफल 0.210 हेक्टेयर । **चौहद्दीः-उत्तर-** बाबूलाल की भूमि, **दक्षिण-** सीमा की भूमि, **पूर्व-** मुर्तुजा हुसैन की भूमि, **पश्चिम-** बालाराम वगै. की भूमि । **3. मुर्तुजा हुसैन की बंधक सम्पत्तिः-** व्यपवर्तित भूमि : प.ह.नं.46, ख.नं. 278/4, मौजा- गीधा, ब्लाक/सर्किल तहसील/जिला- मुंगेली छ.ग., क्षेत्रफल 0.421 हेक्टेयर । **चौहद्दीः-उत्तर-** राजेंद्र सिंह का खेत, **दक्षिण-** उमाबाई का खेत, **पूर्व-** मुर्तुजा हुसैन का खेत, **पश्चिम-** बालाराम वगै. का खेत । **4. मुर्तुजा हुसैन की बंधक सम्पत्तिः-** व्यपवर्तित भूमिः प.ह.नं.46, ख.नं. 278/5, मौजा- गीधा, ब्लाक/सर्किल/तहसील/ जिला-मुंगेली छ.ग. क्षेत्रफल 0.421 हेक्टेयर, **चौहद्दीः-उत्तर-** बाबूलाल का खेत, **दक्षिण-** बाबूलाल का खेत , **पूर्व-** मुर्तुजा हुसैन का खेत, **पश्चिम-** बालाराम का खेत । **5. गईयुर हुसैन की बंधक सम्पत्तिः-** वाणिज्यिक भूमि, प.ह.नं. 46, ख.नं. 277/2, मौजा- गीधा, ब्लाक /,सर्किल/तहसील/जिला- मुंगेली छ.ग. क्षेत्रफल 0.295 हेक्टेयर । **चौहद्दीः-उत्तर-** धनीराम की भूमि , **दक्षिण-** मुर्तुजा हुसैन की भूमि, **पूर्व-** द्वारिका की भूमि, **पश्चिम-** बाबूलाल की भूमि । **6 . मुर्तुजा हुसैन की बंधक सम्पत्तिः-** आवासीय भूमि एवं मकानः प.ह.नं. 54, ख.नं. 239/27, मौजा- लोखंडी (म.न. -2), आर एन एम- सकरी, ब्लाक ,तहसील एवं जिला- बिलासपुर छ.ग. क्षेत्रफल 756 वर्ग फुट एवं 777 वर्ग फुट कुल 1,533 वर्ग फुट । **चौहद्दीः-उत्तर-** विक्रेता की भूमि, **दक्षिण-** खसरा नं० 242/2M2, **पूर्व-** मोहनसाय एवं मंगल दास की भूमि, **पश्चिम-** विक्रेता की भूमि **7 . मुर्तुजा हुसैन की बंधक सम्पत्ति का विवरण-** आवासीय भूमि एवं मकानः प.ह.नं. 54, ख.नं. 239/32, मौजा- लोखंडी (म.न.-2), आर एन एम- सकरी, ब्लाक ,तहसील एवं जिला- बिलासपुर छ.ग., क्षेत्रफल- 941. 85 वर्ग फुट । **चौहद्दीः- उत्तर-** बालाराम की भूमि , **दक्षिण-** लोखंडी-मंगला मार्ग, **पूर्व-** विक्रेता की बचत भूमि, **पश्चिम-** ग्राम हांफा भूमि । **8. मुर्तुजा हुसैन की बंधक सम्पत्तिः-** आवासीय भूमि एवं मकानः प.ह.नं. 54, ख.नं. 239/29 एवं 239/30, मौजा- लोखंडी (म.नं. -2) , आर एन एम- सकरी, ब्लाक, तहसील एवं जिला- बिलासपुर छ.ग. क्षेत्रफल 787 वर्ग फुट । **चौहद्दीः- उत्तर-** बालाराम की भूमि, **दक्षिण-** विक्रेता की शेष भूमि, **पूर्व-** मोहन साय एवं मंगल दास की भूमि, **पश्चिम-** विक्रेता की बचत भूमि । | 02/04/2026 / ₹ 5,19,01,308/- + ब्याज + अन्य व्यय / 08/06/2026 / सांकेतिक | Property No. 1: 3,79,80,000/- / 37,98,000/- / 10,000/-; Property No. 2: 50,28,800/- / 5,02,880/- / 10,000/-; Property No. 3: 1,00,81,500/- / 10,08,150/- / 10,000/-; Property No. 4: 1,00,81,500/- / 10,08,150/- / 10,000/-; Property No. 5: 70,64,300/- / 7,06,430/- / 10,000/-; Property No. 6 Area- 756: 21,18,300/- / 2,11,830/- / 10,000/-; Property No. 6 Area- 777: 19,80,800/- / 1,98,080/- / 10,000/-; Property No. 7: 21,96,000/- / 2,19,600/- / 10,000/-; Property No. 8: 19,44,000/- / 1,94,400/- / 10,000/- |
| **ऋणीः- मेसर्स धाना इंडस्ट्री, पार्टनर्स 1- श्री आकाश कुमार अग्रवाल पिता मोहन लाल अग्रवाल, 2- श्रीमति ललिता श्रीवास पति विजय श्रीवास, 3. श्रीमति स्मिती अग्रवाल पति आकाश कुमार अग्रवाल, 4. श्री अशोक कुमार यादव पिता सरजू यादव, जमानतदार- श्रीमती स्मिती अग्रवाल पति आकाश कुमार अग्रवाल, शाखाः लिंगियाडीह, मोबाइल नं. 6232032528** | **श्रीमति स्मिती अग्रवाल की बंधक सम्पत्ति का विवरण :-** व्यपवर्तित भूमि प.ह.न. 45, ख.नं. 887/2, मौजा- सकरी, आर. एन. एम. - सकरी, ब्लाक-तखतपुर, तहसील- सकरी, जिला- बिलासपुर छ.ग. क्षेत्रफल 21800 वर्गफीट । **चौहद्दीः-उत्तर-** शासकीय नाला, **दक्षिण-** रोड एवं स्मिती अग्रवाल की भूमि, **पूर्व-** रामाधार की भूमि , **पश्चिम-** हेमलता सोनी की भूमि । | 16.02.2026 / ₹ 98,52,492.00 + ब्याज + अन्य व्यय / 29.04.2026 / सांकेतिक/भौतिक | ₹ 1,32,48,000/- / ₹ 13,24,800/- / ₹ 10,000 |

ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि बकाया राशि, ब्याज एवं अन्य खर्चें का भुगतान ई-नीलामी तिथि के पूर्व कर देवें। बिक्री पश्चात अन्य कोई शेष बकाया राशि की वसूली का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है ।

**ई-नीलामी की शर्ते-**

(1) ई-नीलामी **"जहां है जैसा है" , "जो है जैसा है" एवं "जो कुछ भी है "** के आधार पर भार सहित (अगर कोई हो) की जावेगी । बैंक की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है । भार के विवरण हेतु अधोहस्तारकर्ता से धरोहर राशि जमा करने के पूर्व सम्पर्क करें। ई-नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता की वेबसाइट **www.baanknet.com** के माध्यम से आन लाईन की जावेगी ।
(2) आरक्षित मूल्य से कम की निविदा/आफर स्वीकार नहीं किये जाएंगे ।
(3) संपत्ति निरीक्षण **दिनांक 21/10/2026 से 18/11/2026 तक सुबह 11.00 से सायं 4.00 बजे तक** संबंधित शाखा प्रबंधक की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। **(संपर्क हेतुः- 6232032595)**
(4) इच्छुक बोली लगाने वाले/ खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता **Baanknet** के संबंधित ई-नीलामी वेब पोर्टल **https://baanknet.com** में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को ट्रांसफर करना होगा । यदि ग्लोबल ईएमडी वालेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा ।
(5) सफल खरीददार के पक्ष में विक्रय की पुष्टि सिक्योर्ड क्रेडिटर की पुष्टि के अधीन होगी ।
(6) इच्छुक निविदाकर्ता से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं को वेब पोर्टल **www.baanknet.com** में नाम पंजीकृत करवाए और लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें।
(7) विक्री की पुष्टि होने पर सफल खरीददार बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जिसमें ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम भी शामिल है तुरंत जमा करेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत राशि का 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। निर्धारित समयावधि में शेष राशि जमा न करने की स्थिति में बोलीकर्ता द्वारा जमा राशि बिना किसी सूचना के जप्त कर ली जावेगी।
(8) सफल बोलीकर्ता को सभी वैधानिक,गैर साविधिक बकायों, स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित सभी खर्च ,फीस, पंजीयन शुल्क, ट्रांसफर शुल्क एवं अन्य तात्कालिक खर्च, कर, प्रभार, शुल्क, इत्यादि स्वयं वहन करने होंगे ।
(9) अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त संबंधित शाखा से सम्पर्क करें या ईमेल करें **eauction@ccsl.co.in** अथवा सर्विस प्रदाता **M/s. PSB Alliance(baanknet), Contact No:: 8291220220, Help Line E-mail ID ::- support-baanknet@psballiance.com, Website: https://baanknet.com** पर संपर्क करें एवं अंतिम मिनिट एवं सेकेण्ड में बिड करने से बचे।
(10) बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार, अस्वीकार या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।

**दिनांकः 17.10.2026** **प्राधिकृत अधिकारी**



**सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India**

**क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़)**
**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखी गई**
**अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचनाः**

आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता ''सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया'' के पास बंधक रखी गई है, जिसका भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा (संपत्ति के सामने विशेष रूप से उल्लिखित) सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बंधक समझौते के तहत लिया गया है, नीलामी के लिए रखी जाएगी तथा इसे नीचे उल्लिखित **''जहां है जैसा है'', ''जो है जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) से सुरक्षित ऋणदाता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देय राशि की वसूली की जा सके। संबंधित सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि नीचे उल्लिखित है

| स.क्र. | उधारकर्ताओं/ शाखा का नाम | संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण और संपत्ति के मालिक / कब्जा का प्रकार | मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि / कब्जा सूचना की तिथि | आरक्षित मूल्य / धरोहर जमा राशि / बोली वृद्धि राशि | शाखा नाम/ सम्पर्क व्यक्ति एवं सम्पर्क नंबर |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **मेसर्स गोयल कंस्ट्रक्शन्स, प्रोपराईटर- श्री भरत गोयल पिता रामशरण गोयल, निवास-** विमला विला, मकान नं. 39/290, गली नं. 1, विकास नगर, रायगढ़, छत्तीसगढ़, पिन- 496001. | 1) दुकान नं. 113, माप- 354 वर्ग फीट, इला मॉल के प्रथम तल पर स्थित है, जो खसरा नं. 61/2/1 (नं. 62, 63/2/1 सहित) एवं 61/2/2 (नं. 62, 63/2/2 सहित) क्षेत्रफल 0.202 हेक्टेयर और 0. 066 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित है, ग्राम- बैकुंठपुर, प.ह.नं. 23, आर. एन.एम. रायगढ़ 1, नगर निगम वार्ड नं. 1, कॉमर्स कॉलेज रोड से सेठ किरोड़ीमल चौक जाने वाली सड़क के किनारे, ब्लॉक व जिला- रायगढ़ में स्थित है। **चौहद्दीः उत्तर-** खुला आसमान, **दक्षिण-** गलियारा, **पूर्व-** शौचालय/ विश्राम कक्ष, **पश्चिम-** दुकान नं. 114. **2)** दुकान नं. 114, माप- 354 वर्ग फीट इला मॉल के प्रथम तल पर स्थित खसरा नं. 61/2/1 (जिसमें नं. 62, 63/2/1 भी शामिल है) एवं 61/2/2 (जिसमें नं. 62, 63/2/2 भी शामिल है) की जमीन पर बना है। इसका एरिया 0.202 हेक्टेयर और 0.066 हेक्टेयर है। यह ग्राम- बैकुंठपुर, प.ह.नं. 23, आरएनएम- रायगढ़ 1, नगर निगम वार्ड नं. 1, कॉमर्स कॉलेज रोड से सेठ किरोड़ीमल चौक जाने वाली सड़क के किनारे, ब्लॉक एवं जिला- रायगढ़ । **चौहद्दीः उत्तर-** खुला आसमान, **दक्षिण-** गलियारा, **पूर्व-** दुकान नं. 113, **पश्चिम-** दुकान न. 115. **(सांकेतिक कब्जा) कोई SA दाखिल नहीं** | 16/09/2025 / ₹ 25,30,949.18 + उस पर ब्याज व अन्य व्यय / 05/12/2025 | ₹ 29,14,560/- / ₹ 2,91,456/- / ₹ 50,000/- | कोरबा / श्री अशोक कुमार 9764139025 |
| 02 | **ऋणी- श्री किरन कुमार चिकनजुरी पुत्र श्री श्याम लाल जमानतदार- श्री दीपक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल, दोनों का पता-** वार्ड नं. 17, नवापारा, सरदी, बैकुंठपुर, जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़- 497339. | खसरा नं. 364/365/ 366/14, पटवारी हल्का नं. 9, वार्ड नं. 07, तहसील- बैकुंठपुर, जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़, पिन- 497335, क्षेत्रफल 0.020 हेक्टेयर । **विक्रय विलेख अनुसार संपत्ति की चौहद्दीः उत्तर-** सुरेन्द्र काशी की भूमि, **दक्षिण-** शासकीय भूमि (सांस्कृतिक भवन), **पूरब-** सीसी सड़क, **पश्चिम-** मुन्ना केवट की भूमि । **(सांकेतिक कब्जा) कोई SA दाखिल नहीं** | 12/05/2026 / ₹ 56,11,499.46 + उस पर ब्याज व अन्य व्यय / 29/07/2026 | ₹ 35,56,000/- / ₹ 3,55,600/- / ₹ 50,000/- | बैकुंठपुर / श्री संजय सिंह 7880182143 |

| निरीक्षण की तिथि एवं समय | ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | ई-नीलामी की तिथि एवं समय |
|---|---|---|
| 23/11/2026 दोपहर 02:00 बजे से 4:00 बजे के बीच | 25/11/2026, दोपहर 3:00 बजे तक । | 25/11/2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक |

**ई-नीलामी ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''जो कुछ है आधार''** पर आयोजित की जा रही है।
1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और दावों/ अधिकारों/ बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए ।
2. बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पहले ही पूरी करनी होंगीः **चरण 1-** बोलीदाता/ क्रेता पंजीकरणः बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल **https://www.baanknet.com** पर पंजीकरण करना होगा। **चरण 2-** केवाईसी सत्यापनः बोलीदाता को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (इसमें दो कार्य दिवस लग सकते हैं) । **चरण 3 -** ईएमडी राशि का उसके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरणः ई-नीलामी पोर्टल पर उत्पन्न चालान का उपयोग करके एनईएफटी/ ट्रांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन/ ऑफ-लाइन हस्तांतरण । **चरण 1 से चरण 3** बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी तिथि से पहले काफी पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। पते के प्रमाण की प्रति, जिसके बिना बोली अस्वीकृत जा सकती है।
3. ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया अपनी बोलियां जमा करने और इसमें भाग लेने से पहले **https://www.baanknet.com** और सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी **www.centralbankofindia.co.in** देखें।

सफल बोली लगाने वाले को बोली की रकम का **25%** (**EMD** काटकर) सफल बोली लगाने वाले के ऐलान के अगले दिन और बाकी **75%** 15 दिनों के अंदर सेल इंटिमेशन लेटर में बताए गए अकाउंट में जमा करना होगा (जो उसे जारी किया जाएगा)। अगर वह सेल इंटिमेशन लेटर में बताई गई रकम जमा नहीं कर पाता है, तो पहले से जमा की गई रकम जब्त कर ली जाएगी और प्रॉपर्टी का नया ऑक्शन किया जाएगा। प्रतीकात्मक कब्जे के मामले में, अगर बैंक किसी भी स्थिति में वास्तविक कब्जा नहीं दे पाता है (जैसा कि बैंक ने बताया हो), तो सफल बोली लगाने वाले को 3 महीने के अंदर अपनी जमा की गई रकम का दावा करना होगा; इस पर कोई ब्याज या दावा नहीं दिया जाएगा और बैंक की कोई जिम्मेदारी या हर्जाना देने की बाध्यता नहीं होगी ।

**सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री**

उधारकर्ताओं/गारंटरों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की ई-नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत की वसूली की जाएगी।

**दिनांक : 17.10.2026** **स्थानः अंबिकापुर (छ.ग.)** **प्राधिकृत अधिकारी / सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**